कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 265/08 /चार (म0 नियंत्रण) 2000 Zone-B दिनांक 02/8/08

श्री/~~श्रीमती/मै0~~ श्री मनोज कुमार माईति पुत्र स्व० श्री एस० के० माईति, उप निदेशक (योजना एवं भूमि) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, छठा तल, ए-खण्ड, जनपद भवन, जनपद नई दिल्ली।

आपके पत्र दिनांक 14/2/08 मानचित्र सं0 265/08 के सम्बन्ध में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/~~ग्राम~~ श्रद्धापुरी फेस-I, कंकर खेड़ा, मेरठ भूखण्ड/~~भवन~~ स0 क्षेत्रफल 7752.43 कामो० सेक्टर-4, पर निम्नलिखित, शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एयम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्य एवं स्वामित्य पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अर्न्तगत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता क्षेत्रीय को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ